पत्र संख्या विधि-2-(1)-प्रवेश कर अधिनियम/ नियमावली-194-(2009-10)/920/ 0910051/ वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ,
(विधि अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ:: सितम्बर 16 ,2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

शासकीय विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1769/ ग्यारह-9-(1)/2004 उ0प्र0 धि0-12-2000-आदेश-(17)-2004 दिनांक 5-7-2004 में यह प्राविधान है कि राज्य ऊर्जा नीति-2003 के अधीन उत्पादन (नवीन क्षमता और नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूंजी, निवेश नीति अवधि के भीतर अर्थात् दिनांक 31-3-2009 तक, एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक की हो, स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के प्रवेश पर अन्य व्यापारियों के कर के संदाय के दायित्व के लिए दायी होने के लिए दिनांक 5-7-2004 से अनुमति होगीं, यदि ऐसे माल का उपयोग या उपभोग अन्तत: ऐसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई के प्रयोजनों के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुये किया जाये कि ऐसी इकाई , ऐसे व्यापारियों को **उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम-25 ख के उपनियम (1) के अधीन यथाविहित परिपत्र 3ख में घोषणा** जारी करें ।

2- शासकीय विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-1754/ ग्यारह-9-(1)/2004 उ0प्र0 धि0-30-07-आदेश-(48)-2009 दिनांक 27-8-2009 द्वारा उपर्युक्त विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-1769/ ग्यारह-9-(1)/2004 उ0प्र0 धि0-12-2000-आदेश-(17)-2004 दिनांक 5-7-2004 को संशोधित करते हुये इसमें उल्लिखित शब्द एवं अंश **''उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम-25 ख के उपनियम (1) के अधीन यथाविहित परिपत्र 3ख में घोषणा''** के स्थान पर शब्द **''कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारुप में घोषणा ''** रख दिया गया है । इसके साथ ही अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण भी जोड़ दिया गया है :-

> **स्पष्टीकरण :-** कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारुप में इकाई द्वारा जारी घोषणा 01 जनवरी,2008 से प्रारम्भ होने वाली और इस अधिसूचना के प्रारम्भ होने के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किये गये सम्व्यवहारों के लिए भी लागू होगी । ''

3- अत: उपर्युक्त विज्ञप्ति दिनांक 27-8-2009 के प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र के लिए **फार्म जी** निर्धारित किया जाता है जिसका प्रारुप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है । उक्त फार्म जी के रख रखाव एवं प्रयोग की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(1) यह घोषणा पत्र फार्म-जी औद्योगिक इकाई द्वारा ही ए-4 साइज में प्रिन्ट करवाया जायेगा जो तीन प्रतियों अर्थात् मूल प्रति, द्वितीय प्रति एवं प्रतिपर्ण के रुप में होगा । मूल प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने के लिए एवं प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी के लिए होगा ।

(2) फार्म जी की समस्त प्रविष्टियां ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई द्वारा भरी जायेगीं । इस फार्म-जी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम -32 (6) में है अथवा जो टैक्स इन्वॉयस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत है ।

(3) विक्रेता व्यापारी द्वारा फार्म की मूल प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी ।

(4) यह घोषणा पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में क्रमांक- 001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए क्रमाकित रहेगा।

(5) इस फार्म जी पर अधिकतम एक कलेन्डर माह के सम्व्यवहार अंकित किये जायेगे।

4- यह फार्म-जी एक जनवरी, 2008 से प्रारम्भ होने वाली और अधिसूचना की तिथि दिनांक 27-8-2009 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किये गये सम्व्यवहारों के लिए भी लागू होगा।

5- अत: आपको निर्देश दिये जाते है कि फार्म जी के प्रारुप तथा इसके रख रखाव के बारे में समस्त अधिकारियों के साथ साथ अपने जोन में कार्यरत समस्त व्यापारिक संघों, अधिवक्ता संघों, चार्टड एकाउण्टेण्ट संघों आदि को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें और इसकी प्रतियां समस्त औद्योगिक इकाईयों को भी उपलब्ध करायें जो इन वस्तुओं का उपयोग करती हों।

संलग्नक:- यथोपरि।

ह0/-
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अध्यक्ष / निबन्धक,उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0।
4- समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइण्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5- अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थाान गोमती नगर, लखनऊ।
6- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक/वि0 नु0शा0/अपील) कारपोरेट सर्किल/ ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8- ज्वाइण्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
9- ज्वाइण्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर/ असिस्टेन्ट कमिश्नर , उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ।
10- विधि अनुभाग / मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 10, 5, 5 तथा 10 प्रतियां।
11- समस्त डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

ह0/-
(वाई0 एस0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

फार्म – जी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अन्तर्गत जारी
विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–1754/ग्यारह–9(1)/2004–30–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश
(98)–2009दिनांक 27–08–2009 देखें)

उत्पादन (नवीन छमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई ऊर्जा परियोजना
औद्योगिक इकाई द्वारा माल के विक्रेता को दिया जाने वाला घोषणा–पत्र

(मूल प्रति–कर निर्धारण प्राधिकारी के लिए)
कम संख्या ....

1–	ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई का नाम व पता								
2–	टिन	प्रभावी तिथि	d	d	m	m	y	y	y	y
3–	करनिर्धारण वर्ष	y	y	y	y	-	y	y	y	y

खरीद का विवरण माह ....

4–	विक्रेता का नाम व पता									
5–	टिन	प्रभावी तिथि	d	d	m	m	y	y	y	y

क0 सं0	सेल इनवाइस/ टैक्स इनवाइस का कमांक व तिथि	वस्तु का नाम	मात्रा	विक्रय मूल्य	वसूल किये गये मूल्य संवर्धित कर की धनराशि	अन्य वसूल की गई धनराशि, यदि कोई हो	योग (कालम 5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
						योग :	

नोटः– उक्त प्रारूप मे स्थान कम होने पर इस घोषणा–पत्र के पृष्ठ भाग पर उक्त प्रारूप में ही विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है।

घोषणा

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रास्थिति .... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा–पत्र में दी गयी सूचनाएं मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है तथा मेरी इकाई उक्त खरीदों पर विक्रेता के एवज् में प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार करती है।

स्थान ....
तिथि ....
मुहर ....

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट : फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रकिया :–

1– इस फार्म–जी पर अधिकतम एक कलैण्डर माह के संव्यवहार अंकित किये जायेगें।

2– यह घोषणा–पत्र प्रत्येक वर्ष कमांक 0001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिये कमांकित रहेगा।

3– यह घोषणा–पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा। मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को जारी किया जायेगा तथा प्रतिपर्ण केता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।

4– विक्रेता द्वारा फार्म की मूल प्रति करनिर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।

5– केता व्यापारी द्वारा स्वयं यह फार्म ए–4 साईज में प्रिन्ट करवाया जाएगा ।

6– इस फार्म–जी पर हस्ताक्षर केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) में है अथवा जो टैक्स इनवइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।

फार्म – जी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अन्तर्गत जारी
विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–1754/ग्यारह–9(1)/2004–30–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश
(98)–2009दिनांक 27–08–2009 देखें)

उत्पादन (नवीन छमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई ऊर्जा परियोजना
औद्योगिक इकाई द्वारा माल के विक्रेता को दिया जाने वाला घोषणा–पत्र

(द्वितीय प्रति–विक्रेता व्यापारी के लिए)
क्रम संख्या ....

1–	ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई का नाम व पता		
2–	टिन	प्रभावी तिथि	d d m m y y y y
3–	कररिर्धारण वर्ष		y y y y - y y y y
4–	माह के समाप्ति का दिनांक		d d m m y y y y

खरीद का विवरण

5–	विक्रेता का नाम व पता		
6–	टिन	प्रभावी तिथि	d d m m y y y y

क0 सं0	सेल इनवाइस/टैक्स इनवाइस का क्रमांक व तिथि	वस्तु का नाम	मात्रा	विक्रय मूल्य	वसूल किये गये मूल्य संवर्धित कर की धनराशि	अन्य वसूल की गई धनराशि, यदि कोई हो	योग (कालम 5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
						योग :	

नोटः– उक्त प्रारूप मे स्थान कम होने पर इस घोषणा–पत्र के पृष्ठ भाग पर उक्त प्रारूप में ही विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है।

घोषणा

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रास्थिति .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा–पत्र में दी गयी सूचनाएं मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है तथा मेरी इकाई उक्त खरीदों पर विक्रेता के एवज् में प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार करती है।

स्थान ....
तिथि ....
मुहर ....

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट : फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रकिया :–

1– इस फार्म–जी पर अधिकतम एक कलैण्डर माह के संव्यवहार अंकित किये जायेगें।

2– यह घोषणा–पत्र प्रत्येक वर्ष क्रमांक 0001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांकित रहेगा।

3– यह घोषणा–पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा। मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को जारी किया जायेगा तथा प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।

4– विक्रेता द्वारा फार्म की मूल प्रति करनिर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।

5– क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं यह फार्म ए–4 साईज में प्रिन्ट करवाया जाएगा ।

6– इस फार्म–जी पर हस्ताक्षर केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) में है अथवा जो टैक्स इनवइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।

फार्म – जी

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 के अन्तर्गत जारी
विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–1754/ग्यारह–9(1)/2004–30–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश
(98)–2009दिनांक 27–08–2009 देखें)

उत्पादन (नवीन छमता और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण), पारेषण और वितरण में लगी हुई ऊर्जा परियोजना
औद्योगिक इकाई द्वारा माल के विक्रेता को दिया जाने वाला घोषणा–पत्र

(प्रतिपर्ण – केता औद्योगिक इकाई के लिए)
कम संख्या ....

1–	ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई का नाम व पता		
2–	टिन	प्रभावी तिथि	d d m m y y y y
3–	कररिर्धारण वर्ष		y y y y - y y y y
4–	माह के समाप्ति का दिनांक		d d m m y y y y

खरीद का विवरण

5–	विक्रेता का नाम व पता		
6–	टिन	प्रभावी तिथि	d d m m y y y y

क0 सं0	सेल इनवाइस/ टैक्स इनवाइस का कमांक व तिथि	वस्तु का नाम	मात्रा	विकय मूल्य	वसूल किये गये मूल्य संवर्धित कर की धनराशि	अन्य वसूल की गई धनराशि, यदि कोई हो	योग (कालम 5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
						योग :	

नोटः– उक्त प्रारूप मे स्थान कम होने पर इस घोषणा–पत्र के पृष्ठ भाग पर उक्त प्रारूप में ही विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है।

घोषणा

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... प्रास्थिति .... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा–पत्र में दी गयी सूचनाएं मेरी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है तथा मेरी इकाई उक्त खरीदों पर विक्रेता के एवज् में प्रवेश कर का दायित्व स्वीकार करती है।

स्थान ....
तिथि ....
मुहर ....

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

नोट : फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रकिया :–

1– इस फार्म–जी पर अधिकतम एक कलैण्डर माह के संव्यवहार अंकित किये जायेगें।

2– यह घोषणा–पत्र प्रत्येक वर्ष कमांक 0001 से प्रारम्भ होगा तथा पूरे वित्तीय वर्ष के लिये कमांकित रहेगा।

3– यह घोषणा–पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा। मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को जारी किया जायेगा तथा प्रतिपर्ण केता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।

4– विक्रेता द्वारा फार्म की मूल प्रति करनिर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय खरीद की सूची के साथ प्रस्तुत की जायेगी तथा द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।

5– केता व्यापारी द्वारा स्वयं यह फार्म ए–4 साईज में प्रिन्ट करवाया जाएगा ।

6– इस फार्म–जी पर हस्ताक्षर केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसका उल्लेख उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम–32(6) में है अथवा जो टैक्स इनवइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है।